न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1144 / 2024

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति धानक निवासी हजीरा तहसील सिरसा जिला सिरसा।
2. जगदीश पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर
3. विनोद पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर
4. बिहारीलाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी ललानावास नथवानिया तहसील नोहर

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 28/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता सं. 1/1 के ख.न. 71 की 0.2530 हैक्टर भूमि जो कि श्मशान की भूमि है जो कि वर्तमान में गै.मु. हाल जमाबन्दी में दर्ज कर दी गई है जिसके लिए रिकार्ड दुरुती हेतु वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। यही बिनाय दावा है।

रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता सं. 1/1 के ख.न. 71 की 0.2530 हैक्टर भूमि के लिए वादीगण ग्राम के लोग होने के कारण जनहित में वादग्रस्त कर रहे है तथा वादीगण ग्राम ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर सभ्रान्त नागरिक है तथा वाद भूमि श्मशान की भूमि है राजस्व रिकार्ड में गै.मु. दर्ज होने से प्रार्थीगण को कानूनी दिक्कत आती है। इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवापाने के अधिकारी है। रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के मिस बन्दोबस्त सम्बत 2029–2038 के खाता सं. 2/3 क्र.स. 5 में ख.न. 71 की 1 बीघा भूमि मसान दर्ज है परन्तु (शमशान) महकमा राजस्व अमलामाल द्वारा पश्चातवर्ती राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि गै.मु. दर्ज कर दी गई उसमें मसान दर्ज नहीं किया गया है जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिए वादीगण रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर रोही मौजा ललानावास नथवानिया तहसील नोहर के खाता सं. 1/1 के ख.न. 71 की 0.2530 हैक्टर भूमि को गै.मु. के स्थान पर श्मशान दर्ज करवापाने के अधिकारी है वादीगण उपरोक्त आशयें की घोषणा करापाने के अधिकारी है। वादीगण ग्राम ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के सभ्रात नागरिक है तथा उक्त रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता सं. 1/1 के ख.न. 71 की 0.2530 हैक्टर भूमि में बैनिवाल समाज द्वारा अपने मृतक पूर्वजो का दाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संस्कार करते है तथा उक्त श्मशान में सैकडो वर्षों से वादीगण व समाज के अन्य मृतको का दाह संस्कार किया जाता रहा है तथा वादीगण व अन्य ग्रामवासियों बैनीवाल समाज द्वारा चन्दा चिठठा करके उक्त भूमि के मुख्य द्वार निर्मित कर रखा है तथा बैनीवाल कल्याण भूमि नथवानिया का बोर्ड लगा रखा है उक्त भूमि में पानी का कुण्ड भी निर्मित है तथा बैनीवाल समाज के मृतको की दाह संस्कार के बाद उस स्थान पर छतरी अथवा चबुतरी भी बनी हुई है जो सबसे पुरानी चबुतरी / छतरी तथा प्रेम बैनीवाल सम्बत 1936 की चबूतरी / छतरी बनी हुई है अन्य बैनीवाल समाज के लोग अपने मृतक पूर्वजों को दाह संस्कार करते है, उनकी धार्मिक आस्था का उक्त भूमि केन्द्र है तथा बैनीवाल समाज के लोगो है उक्त भूमि को दाह संस्कार के लिए काम लेते रहे है इसलिए जनहित में समाज के लिए वादीगण द्वारा 91 आर.टी. एक्ट के तहत न्यायालय हाजा की पूर्व अनुमति से वाद प्रस्तुत कर रहे है तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि में गै.मु. दर्ज रहने से बैनीवाल समाज की भावना आहत होती है इसलिए वादीगण उकत भूमि को बैनीवाल श्मशान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधि कारी है वादीगण उपरोक्त आशयों की घोषणा करापाने के अधिकारी है।

घोषित किया जावे कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता सं. 1/1 के ख.न. 71 की 0.2530 हैक्टर भूमि गै.मु. भूमि के स्थान पर वादीगण (बैनीवाले श्मशान दर्ज करवापाने के अधिकारी है, तदनुसार जमाबन्दी हाल दुरूस्त करापाने के अधिकारी है

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता सं. 1/1 के ख.न. 71 की 0.2530 हैक्टर भूमि के लिए वादीगण ग्राम के लोग होने के कारण जनहित में वादग्रस्त कर रहे है तथा वादीगण ग्राम ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर सभ्रान्त नागरिक है तथा वाद भूमि श्मशान की भूमि है राजस्व रिकार्ड में गै.मु. दर्ज होने से प्रार्थीगण को कानूनी दिक्कत आती है। इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवापाने के अधिकारी है। रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के मिस बन्दोबस्त सम्बत 2029–2038 के खाता सं. 2/3 क्र.स. 5 में ख.न. 71 की 1 बीघा भूमि मसान दर्ज है परन्तु (शमशान) महकमा राजस्व अमलामाल द्वारा पश्चातवर्ती राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि गै.मु. दर्ज कर दी गई उसमें मसान दर्ज नहीं किया गया है जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिए वादीगण रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर रोही मौजा ललानावास नथवानिया तहसील नोहर के खाता सं. 1/1 के ख.न. 71 की 0.2530 हैक्टर भूमि को गै.मु. के स्थान पर श्मशान दर्ज करवापाने के अधिकारी है वादीगण उपरोक्त आशयें की घोषणा करापाने के अधिकारी है। वादीगण ग्राम ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के सभ्रात नागरिक है तथा उक्त रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता सं. 1/1 के ख.न. 71 की 0.2530 हैक्टर भूमि में बैनिवाल समाज द्वारा अपने मृतक पूर्वजो का दाह संस्कार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करते है तथा उक्त श्मशान में सैकडो वर्षों से वादीगण व समाज के अन्य मृतको का दाह संस्कार किया जाता रहा है तथा वादीगण व अन्य ग्रामवासियों बैनीवाल समाज द्वारा चन्दा चिठठा करके उक्त भूमि के मुख्य द्वार निर्मित कर रखा है तथा बैनीवाल कल्याण भूमि नथवानिया का बोर्ड लगा रखा है उक्त भूमि में पानी का कुण्ड भी निर्मित है तथा बैनीवाल समाज के मृतको की दाह संस्कार के बाद उस स्थान पर छतरी अथवा चबुतरी भी बनी हुई है जो सबसे पुरानी चबुतरी / छतरी तथा प्रेम बैनीवाल सम्बत 1936 की चबूतरी / छतरी बनी हुई है अन्य बैनीवाल समाज के लोग अपने मृतक पूर्वजों को दाह संस्कार करते है, उनकी धार्मिक आस्था का उक्त भूमि केन्द्र है तथा बैनीवाल समाज के लोगो है उक्त भूमि को दाह संस्कार के लिए काम लेते रहे है इसलिए जनहित में समाज के लिए वादीगण द्वारा 91 आर.टी. एक्ट के तहत न्यायालय हाजा की पूर्व अनुमति से वाद प्रस्तुत कर रहे है तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि में गै.मु. दर्ज रहने से बैनीवाल समाज की भावना आहत होती है इसलिए वादीगण उकत भूमि को बैनीवाल श्मशान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधि कारी है वादीगण उपरोक्त आशयों की घोषणा करापाने के अधिकारी है। वाद वादी डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता सं. 1/1 के ख.न. 71 की 0.2530 हैक्टर गै0मु0 हाल जमाबंदी दर्ज है। उक्त वाद भूमि को वादी द्वारा गै0मु0 से बैनीवाल श्मशान दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। जमाबंदी भू प्रबन्धन विभाग में उक्त भूमि पूर्व में गैर मु0 मसान दर्ज थी लेकिन वादी द्वारा गै0मु0 श्मशान दर्ज न करवाकर बैनीवाल श्मशान दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा गया है जो की न्यायोचित नही है। गै0मु0 भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित किया जाना उचित है जबकि किसी विशेष समुदाय के लिए आरक्षित किया जाना न्यायोचित नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....28/10/25.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिकी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 1144/2024
अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति धानक निवासी हजीरा तहसील सिरसा जिला सिरसा।
2. जगदीश पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर
3. विनोद पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर
4. बिहारीलाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी ललानावास नथवानिया तहसील नोहर

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1144 सन 2024 निर्णय दिनांक 28/10/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested